भाग क

राजस्व प्राप्तियां

निम्नलिखित विवरण में वर्ष 2005-2006 के लिए स्थूल श्रेणीवार राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का सार दिया गया है। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों का प्रभाव सम्मिलित है। इस विवरण के बाद दी गई टिप्पणियों में विभिन्न भागों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे भी दिए गए हैं, जिनके साथ दी गई संक्षिप्त टिप्पणियों में बजट और संशोधित अनुमान 2003-2004 के बीच अंतर और संशोधित अनुमानों तथा 2004-2005 के बजट अनुमानों के अंतर को स्पष्ट किया गया है।

संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 जिसे दिनांक 1/4/1996 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी किया गया हैं, के अनुसार क्रमशः अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित करों तथा शुल्कों, अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों तथा शुल्कों पर अधिभार तथा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लगाए गए किसी उपकर को छोडकर केंद्र की सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए तथा संग्रहित किए जाएंगें तथा वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा जैसा निर्धारित किया जाए उस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे।

वर्ष 2005-2010 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वितरण का तरीका बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद जारी राष्ट्रपति के आदेश में निर्धारित किया गया है।

(करोड़ रुपए)

		बजट 2004-2005	संशोधित 2004-2005	बजट 2005-2006
I.	**कर राजस्व**			
	निगम कर	88436	83000	110573
	आय पर कर	50929	50929	66239
	धन कर	145	265	265
	सीमा शुल्क	54250	56250	53182
	संघ उत्पाद शुल्क	109199	100720	121533
	सेवा कर	14150	14150	17500
	संघ राज्य क्षेत्रों के कर	624	707	733
	जोड़-कर राजस्व	**317733**	**306021**	**370025**
	जिसमें से व्यय के एवज में घटाया गया (राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि एनसीसीएफ) को वित्तपोषित करने के लिए एनसीसीडी)	1600	1600	1600
	सकल कर राजस्व का शेष	316133	304421	368425
	घटाइए-राज्यों का हिस्सा#:	**82227**	**78617**	**94959**
	केन्द्र का निवल कर राजस्व	**233906**	**225804**	**273466**
II.	**कर-भिन्न राजस्व**			
	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ	55825	52337	49000
	संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व	618	699	729
	अन्य कर-भिन्न राजस्व	18973	22064	28005
	जोड़-कर-भिन्न राजस्व	**75416**	**75100**	**77734**
	निवल-केन्द्र का राजस्व	**309322**	**300904**	**351200**

 # केंद्रीय करों/शुल्कों में हिस्से का राज्यवार वितरण अनुबंध-I में दर्शाया गया है।